रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2016, शनिवार/आश्विन 3— आश्विन 9, 1938

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2016, SATURDAY/ASVINA 3—ASVINA 9, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 183.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, तकनीशियन एवं श्वसन प्रयोगशाला सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय समूह 'ग' तकनीशियन पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रयोगशाला तकनीशियन (श्वसन) और श्वसन प्रयोगशाला सहायक, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – पदों की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.श्वसन प्रयोगशाला सहायक	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड –1, 5200–20200 रु. +ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12वीं स्तर उत्तीर्ण; और (ii) किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त अस्पताल से श्वसन प्रयोगशाला में तन्तु प्रकाशिकी ब्रोकोस्कोप	आयु - नहीं अर्हता – हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

और विभिन्न फुफ्फुस – कृत्य परीक्षण मशीन से कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : - सफदरजंग अस्पताल के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जिन्होंने वेतन बैंड -1, 5200 – 20200 रू. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	(i) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक, अस्पताल अनुभाग का भार साधक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य (ii) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. उप निदेशक, अस्पताल अनुभाग का भारसाधक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.प्रयोगशाला तकनीशियन (श्वसन)	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड –1, 5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संयुक्त पद्धति द्वारा : प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति :- [प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति] :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर या पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की हो ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर या पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय सहित 12वीं स्तर उत्तीर्ण ; (ii) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल से श्वसन प्रयोगशाला में तन्तु प्रकाशिकी ब्रोकोस्कोप और विभिन्न फुफ्फुस–कृत्य परीक्षण मशीन से कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । विभागीय श्वसन प्रयोगशाला सहायक जिसमें वेतन बैंड 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाने की दशा में, वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुकृति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन, के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन अयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. ए-11018/14/2015-एम एच-II]
संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th September, 2016

G.S.R. 183.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital, Group 'C' posts of Laboratory Technician and Respiratory Laboratory Assistant Recruitment Rules, 1993, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Central Group 'C' Technician posts in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Laboratory Technician (Respiratory) and Respiratory Laboratory Assistant, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Respiratory Laboratory Assistant.	01* (2016) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band 1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2000/-	Non-selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Standard pass with Science as a subject from a recognised Board; and (ii) two year's experience in handling fibre-optic bronchoscope and various lung function test machine in respiratory laboratory from a Government or reconigsed Hospital. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be	Age: No. Qualification: Yes.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.

recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Group 'C' employees of Safdarjung Hospital in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1800/- with six years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	(i) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Safdrajung Hospital, New Delhi -Chairman ; (2) Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; (3) Deputy Director in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member. (ii) Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Additional Medical Superintendent, Safdrajung Hospital, New Delhi -Chairman ; (2) Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; (3) Deputy Director in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Laboratory Technician (Respiratory)	01* (2016) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial	Pay band 1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2400/-	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By composite method : Deputation (including short-term contract) plus promotion.

(11)	(12)	(13)
Composite method :(deputation (including short term contract) plus promotion): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions : (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eleven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 1800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2000/- or equivalent in the parent cadre or department or ; and (b) possessing the following education qualifications and experience, namely:- (i) 12th standard pass with Science as a subject from a recognised Board; (ii) two year's experience in handling fibre-optic bronchoscope and various lung function test machine in respiratory laboratory from a Government or recognised hospital. The Departmental Respiratory Laboratory Assistant in pay band-1, Rs. 5200-20200/- plus grade pay of Rs. 2000/- with five years regular service in the grade shall also be considered along with the outsiders and in case such person is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* posts held, immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract)shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4**: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable	Not applicable

[F. No. A-11018/14/2015-MH-II]

SANJAY PANT, Under Secy.